International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct, 2024 pp: 188-199ISSN: 2584-2145www.ijemh.com

वैदिक काल में नारी शिक्षा एवं वर्तमान में नारी शिक्षा का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।

Dr. Mamta Joshi
B.S.M. Women B.Ed. College, Roorkee
Uttarakhand

Date of Submission: 14-09-2024 Date of Acceptance: 02-10-2024

परिचय

महिलाओं की स्थिति के मामले में भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बिल्कुल भिन्न है। यह सर्वविदित तथ्य है कि विश्व भर में 50 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है। लेकिन हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या के कलंक के कारण लिंग चयन गर्भपात के आधार पर महिलाओं की संख्या में भारी कमी आई है। यद्यपि भारतीय समाज में लिखित अभिलेखों या कानून में महिलाओं और पुरुषों की समान स्थिति का उल्लेख है, लेकिन व्यवहार में ऐसा बहुत कम है। इसलिए पुरुष और महिला के बीच घटते लिंगानुपात की स्थिति भारत में महिलाओं की पुरुषों के साथ असमान सामाजिक स्थिति का मार्ग प्रशस्त करती है, जबकि पश्चिमी देशों में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। हमारी संस्कृति से यह स्पष्ट है कि एक ओर हम महिलाओं को लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में देवी मानते हैं और दूसरी ओर उनके साथ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर शोषण, अपहरण, 'कन्या भ्रूण हत्या और महिला तस्करी' जैसे भयानक और अवैधानिक अपराध करते हैं। दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि हर कोई उन्हें एक गुलाम की तरह मानता है जो बिना किसी वेतन के काम करती है।

आज हमारे संविधान के अनुसार हम समानता के सिद्धांत के आधार पर महिलाओं को समान दर्जा प्रदान करते हैं। यह पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं द्वारा किए गए लंबे संघर्ष के कारण सामने आया है। हमारा प्राचीन काल इस असमानता का गवाह है, उदाहरण के लिए पाँच पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पासों के खेल में वस्तुओं की तरह इस्तेमाल किया गया था। महिलाओं को राजाओं और राजपरिवार के अन्य पुरुष सदस्यों को खुश करने के लिए दरबारी नर्तकियों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, महिलाओं को घर या सार्वजनिक स्थानों पर ऊँची आवाज़ में बोलने का अधिकार नहीं था, ये कुछ ऐसे मामले हैं जो दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में महिलाओं के साथ पुरुषों के बराबर व्यवहार नहीं किया जाता था। यहाँ तक कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत गतिविधियों में भी स्वतंत्र रूप से भाग लेने की अनुमति नहीं थी।

लेकिन 20वीं सदी के आते-आते महात्मा गांधी ने महिला उदारीकरण के लिए राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दिया। उस समय ही राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महिला शिक्षा, सती प्रथा की रोकथाम, बहुविवाह पर रोक आदि के लिए आंदोलन शुरू किया, जिसे संसद में पारित किया गया और सती प्रथा की रोकथाम, बाल विवाह पर रोक, संपत्ति में महिलाओं के समान अधिकार और विधवाओं के पुनर्विवाह आदि के लिए कार्रवाई की गई।

भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् संसद ने असमानता को दूर करके महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा देने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने हिंदू विवाह के लिए कानून बनाकर एक सुदृढ़ व्यवस्था भी बनाई है, जिसमें विवाह की आयु निर्धारित की गई है, बहुविवाह को रोका गया है तथा एकविवाह को अनिवार्य बनाया गया है। उन्होंने गोद लेने के कानून भी बनाए हैं, ताकि कोई भी पुरुष या महिला बच्चा गोद ले सके तथा पत्नी, बच्चों, माता-पिता आदि के भरण-पोषण के लिए कानून बनाए हैं। भारत के संविधान के माध्यम से उन्होंने अनुच्छेद 1423, 1524, 15(3)25, 4226, 51(ए)(ई)27 के तहत महिलाओं की समानता की रक्षा की है। इस प्रकार सरकारें अपने स्तर पर महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा देकर असमानता को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास करती हैं। आज तक स्थिति जस की तस है या यूं कहें कि कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध के कारण स्थिति और खराब हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप समाज में महिलाओं की हिस्सेदारी घटती जा रही है।

'कन्या भ्रूण हत्या' और शिशु हत्या के अपराध प्राचीन संस्कृति में गहराई से निहित हैं, जिसके परिणामस्वरूप लिंग चयन के आधार पर मृत्यु होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन अपराधों के अपराध दर ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े देशों में बहुत अधिक है, यानी भारत और दूसरा चीन और यह हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक है। यह इन देशों में महिलाओं की निम्न स्थिति

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct, 2024 pp: 188-199ISSN: 2584-2145www.ijemh.com

को दर्शाता है। यह पितृसत्तात्मक समाज द्वारा महिलाओं के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और कठोर प्रदर्शन है।
इस प्रकार प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक नारी की स्थिति में परिवर्तन हुआ है। लेकिन फिर भी भारत और अन्य देशों में 'कन्या भ्रूण हत्या' और 'शिशु हत्या' की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। इसलिए इस शोध में शोधकर्ता ने आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक नारी की स्थिति पर चर्चा की है, जिससे 'कन्या भ्रूण हत्या' के कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी।

प्राचीन भारत में महिला शिक्षा

प्राचीन भारत में महिलाओं की सामान्य स्थिति अद्वितीय थी। बाल विवाह और जबरन विधवापन की प्रथाएँ वैदिक भारत में प्रचलित नहीं थीं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि महिलाओं को समाज में उच्च दर्जा और स्वतंत्रता प्राप्त थी, जैसे कि एक अविवाहित युवा विद्वान बेटी का विवाह एक विद्वान दूल्हे से होना चाहिए। लड़कियाँ स्वतंत्र रूप से अपने पति चुन सकती थीं। उन दिनों कम उम्र में विवाह का प्रचलन नहीं था।

प्राचीन भारत में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की पूरी आज़ादी थी। उनसे वैदिक यज्ञों में भाग लेने और मंत्रोच्चार करने की अपेक्षा की जाती थी। यहाँ तक कि ऋग्वेद के कुछ श्लोक भी कवयित्रियों द्वारा रचित थे। हमें विश्ववारा, लोपामुद्रा, अपाला, उर्वशी, घोषा, सुलभा, लीलावती, मैत्रेयी, सास्वती, क्षणा, गार्गी और अन्य जैसी विद्वान महिलाओं के संदर्भ मिलते हैं। प्राचीन भारत के सबसे विद्वान दार्शनिक याज्ञवल्क की प्रसिद्ध पत्नी मैत्रेयी अपने पति के साथ गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों पर चर्चा करती थीं।

गार्गी ने याज्ञवल्क के साथ दार्शनिक मुद्दों पर बहस में भी भाग लिया। लीलावती प्राचीन भारत की एक महान गणितज्ञ थीं। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्राचीन समाज महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए रूढ़िवादी नहीं था और उनमें से कई ने सीखने में महान दक्षता हासिल की। प्राचीन महिलाओं को शिक्षा के संबंध में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे
लड़कियों का उपनयन (वैदिक दीक्षा) लड़कों की तरह ही आम होना चाहिए था। वैदिक काल में महिलाओं को न केवल विशेषाधिकार प्राप्त थे, बल्कि उनमें नैतिकता का उच्च स्तर भी था। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक योगदान दिया था। सामान्य साहित्यिक और सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या काफी बड़ी रही होगी। लंबे समय तक परिवार ही एकमात्र शिक्षण संस्थान था, और लड़के भी अपने पिता या बड़ों से ही शिक्षा प्राप्त करते थे। स्वाभाविक रूप से लड़कियों के साथ भी यही स्थिति थी। लेकिन बाद के समय में महिला शिक्षकों का एक वर्ग अस्तित्व में आया (उपाध्यायनी)। 12वीं शताब्दी तक हिंदू समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी, और इसलिए महिलाओं के लिए शिक्षण पेशे को अपनाने में कोई कठिनाई नहीं थी। महिला शिक्षकों ने शायद खुद को लड़की-छात्राओं को पढ़ाने तक ही सीमित रखा होगा। पाणिनि ने महिला-छात्राओं के लिए बोर्डिंग हाउस, छत्रशालाओं का उल्लेख किया है, और ये संभवतः महिला शिक्षकों की देखरेख में थे।

प्राचीन भारत में सह-शिक्षा भी हल्के रूप में प्रचलित थी। कभी-कभी लड़के और लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। 8वीं शताब्दी ई. में लिखे गए भवभूति के 'मालतीमाधव' से हमें पता चलता है कि भिक्षुणी कामंदकी ने भूरिवासु और देवरात के साथ एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र में शिक्षा प्राप्त की थी। 'उत्तर-राम-चरित' में भी (उसी लेखक द्वारा) हम पाते हैं कि आत्रेयी ने कुश और लव के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त की थी।
भारत में आरंभिक वैदिक काल में महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षा की सटीक सीमा निर्धारित करना कठिन है। लड़कियों के लिए उपनयन संस्कार अनिवार्य था, और इसने सभी वर्गों की लड़कियों को एक निश्चित मात्रा में वैदिक और साहित्यिक शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया होगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिला शिक्षा को मुख्य रूप से महिलाओं की धार्मिक स्थिति में गिरावट के कारण बहुत बड़ा झटका लगा।

धीरे-धीरे लड़कियों के लिए उपनयन पर प्रतिबंध लगाया जाने लगा और लगभग 500 ईसा पूर्व तक यह एक औपचारिकता बन चुका था। उपनयन को बंद करना महिलाओं की धार्मिक स्थिति के लिए विनाशकारी था और उन्हें वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने और वैदिक बलिदान करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार महिलाओं के लिए वैदिक शिक्षा निषिद्ध कर दी गई। विदेशियों के आगमन के साथ ब्राह्मणवादी समाज कठोर और रूढ़िवादी हो गया।

पंडितों ने रक्षा के उपाय अपनाए। इसके कारण स्त्रियों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। वे घर के भीतर ही सीमित हो गईं। बदली हुई परिस्थिति में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं रहा। मनु की संहिता (200 ई.) (मनुस्मृति या मनुसंहिता) के द्वारा उनकी आश्रित स्थिति को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया गया। मनु के अनुसार, "लड़की, युवती या वृद्ध स्त्री को भी कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं करना चाहिए।" मनु ने आगे कहा कि "बचपन में स्त्री को अपने पिता के अधीन रहना चाहिए, युवावस्था में अपने पति के अधीन, तथा पति की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिए", स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। चाहे दिन हो या रात, स्त्री को अपने परिवार के पुरुषों द्वारा आश्रित रखा जाना

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct, 2024 pp: 188-199ISSN: 2584-2145www.ijemh.com

चाहिए। बचपन में उसका पिता उसकी रक्षा करता है, युवावस्था में उसका पति उसकी रक्षा करता है, तथा वृद्धावस्था में उसके पुत्र उसकी रक्षा करते हैं; स्त्री कभी भी स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं होती।" इस प्रकार, मनु के समय स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता था तथा उन्हें वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। अब तक कम उम्र में विवाह का रिवाज बन चुका था।

उपनयन संस्कार बंद होने से होने वाली परेशानी विवाह योग्य आयु कम होने से और बढ़ गई। वैदिक काल में लड़कियों की शादी लगभग 16 या 17 वर्ष की आयु में कर दी जाती थी; लेकिन बाद के वैदिक काल (500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक) में लड़कियों की शादी 8 या 9 वर्ष की आयु में कर दी जाती थी। लड़कियों की कम उम्र में शादी ने महिला शिक्षा को खत्म कर दिया। हालाँकि इस अवधि के दौरान समाज में महिला शिक्षा को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अमीर, कुलीन और शाही परिवारों में इस पर ध्यान दिया जाता रहा। इन परिवारों में लड़कियों को काफी अच्छी साहित्यिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन निश्चित रूप से वैदिक साहित्य नहीं।

एक साधारण परिवार की लड़की को केवल वही शिक्षा मिलती थी जो उसे अपने पति के घर में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त बनाती थी। उसके कर्तव्य मुख्य रूप से अपने बच्चों का पालन-पोषण करना, सब कुछ साफ-सुथरा रखना, परिवार के सदस्यों के लिए भोजन तैयार करना और घर के बर्तनों की देखभाल करना था। इस प्रकार, लड़कियों की शिक्षा पूरी तरह से घरेलू थी। वे घर पर ही शिक्षा प्राप्त करती थीं।

भारत में महिलाओं को सदियों से शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया है, लेकिन इस सामान्य स्थिति के कुछ अपवाद हमेशा रहे हैं। सभी युगों के भारतीय साहित्य में शिक्षित महिलाओं का उल्लेख है जिन्होंने सार्वजनिक मामलों में भी प्रमुख भूमिका निभाई और ललित कलाओं के साथ-साथ सैन्य कला में भी बेहतरीन कौशल दिखाया। चंद्रगुप्त मौर्य के पास महिला अंगरक्षक थीं।
जैसा कि हमने पहले बताया है, राजकुमारों और संपन्न परिवारों की बेटियों को अक्सर अपने पिता या बड़ों या पारिवारिक पुजारियों से कुछ शिक्षा मिलती थी। कई महिला तपस्वी और भिक्षुक कुछ संस्कृत सीखती थीं और लोकप्रिय धार्मिक कविताओं से परिचित थीं।
दक्षिण में नृत्य करने वाली लड़कियाँ जो अक्सर मंदिरों (देवदासियों) से जुड़ी होती थीं, उन्हें कुछ शिक्षा मिलती थी, खास तौर पर नृत्य और संगीत में। वे अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए मशहूर थीं। ये अर्ध-वेश्याएँ पढ़ना, गाना और नृत्य करना सीखती थीं। ये वेश्याएँ कभी-कभी जासूस के तौर पर भी काम करती थीं। वेश्याओं की शिक्षा भारत में बहुत पुरानी प्रथा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वेश्याओं की शिक्षा का ज़िक्र है।
इसमें कोई संदेह नहीं कि बौद्ध धर्म का महिलाओं की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा। बौद्ध मठवासी व्यवस्था में न केवल भिक्षु शामिल थे, बल्कि भिक्षुणियाँ भी शामिल थीं। लेकिन बुद्ध ने इस व्यवस्था को बहुत अनिच्छा से स्वीकार किया था। इसमें निस्संदेह उन्होंने अपने समय के उन विचारों को प्रतिबिंबित किया जो महिलाओं की स्वतंत्रता और शिक्षा के विरुद्ध थे।
उनकी चाची महाप्रजापति ने संघ में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उन्होंने तीन बार मना कर दिया। अंत में, उनके पहले और पसंदीदा शिष्य आनंद की उत्कट अपील पर, बुद्ध ने हार मान ली। हालाँकि, उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया और कहा कि महिलाओं के प्रवेश से उनका काम बर्बाद हो जाएगा। भिक्षुणियाँ भिक्षुओं पर बहुत अधिक निर्भर थीं, और उन्हें केवल भिक्षु ही प्रवेश दे सकते थे।
इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि बुद्ध, मनु की तरह, महिलाओं के बारे में निम्न विचार रखते थे। यह सच है कि बौद्ध भिक्षुणी विहार वांछित सीमा तक नहीं फैले। उनकी संख्या बहुत कम थी। इसका कारण बहुत सरल है। बौद्ध आंदोलन ने महिला शिक्षा को केवल अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया। चौथी शताब्दी ई. के अंत तक भिक्षुणी विहार प्रचलन में नहीं थे। 5वीं और 7वीं शताब्दी ई. के चीनी तीर्थयात्री उनका उल्लेख बिल्कुल नहीं करते।
यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि आधुनिक सीलोन (श्रीलंका) और बर्मा (म्यांमार) में भिक्षुओं की तुलना में भिक्षुणियों की संख्या बहुत कम है। इन देशों में भिक्षुणियाँ लड़कियों को शिक्षा नहीं देतीं, जबकि मठ लड़कों को देते हैं। इससे पता चलता है कि बौद्ध भिक्षुणियाँ महिलाओं के बीच शिक्षा के प्रसार में ज़्यादा मदद नहीं कर पाईं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मठों की तरह भिक्षुणियाँ भी सामान्य शिक्षा के केंद्र बन गईं।
भारत में जब बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, तब भी महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत कम काम किया गया। लेकिन जो भिक्षुणियाँ इस संप्रदाय में शामिल हुईं, उन्हें बौद्ध सिद्धांतों और पढ़ने-लिखने की शिक्षा मिली। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ भिक्षुणियाँ सीखने में उच्च दक्षता प्राप्त कर चुकी थीं। बौद्ध साहित्य में कई बौद्ध भिक्षुणियों की बौद्धिक उपलब्धियों के बारे में कई संदर्भ हैं। उनमें से कुछ तो शिक्षिका और विद्वान के रूप में भी प्रसिद्ध हुईं।

मध्यकालीन भारत में महिला शिक्षा

समय बीतने के साथ-साथ मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति और भी खराब होती गई, बल्कि उनकी स्थिति में कुछ अच्छे बदलाव आए। मध्यकाल में ही मुस्लिम और

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct, 2024 pp: 188-199ISSN: 2584-2145www.ijemh.com

राजपूत समुदाय द्वारा महिलाओं के खिलाफ पर्दा और जौहर की प्रथा शुरू की गई थी। सबसे पहले 'पर्दा' का मतलब है, मुस्लिम समुदाय में महिलाएँ पूरी तरह से कपड़ों से ढकी रहती हैं, ताकि पुरुषों से अपना शरीर ढक सकें। दूसरे 'जौहर' का मतलब है, महिलाएँ अपनी मर्जी से खुद को बचाने के लिए खुद को जला देती हैं।

इन सभी धार्मिक प्रतिबंधों के बावजूद, उस समय महिलाओं ने सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग लिया जैसे कि रजिया सुल्तान जो दिल्ली की पहली महिला सम्राट थीं, चांद बीबी जिन्होंने अकबर को हराया था आदि। इस काल में भी भक्ति आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति में सुधार और सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये वे आंदोलन थे जिन्होंने उस समय समाज में महिलाओं को समान दर्जा देने की कोशिश की थी। उस समय पुरुषों और महिलाओं की समानता का उपदेश देने वाले सबसे अच्छे उदाहरण 'गुरु नानक' थे। वह धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की समानता की वकालत करते हैं

आधुनिक भारत में महिला शिक्षा

प्राचीन और मध्यकालीन युग में महिलाओं की स्थिति पुरुषों से कमतर थी, लेकिन शास्त्रों में सैद्धांतिक रूप से महिलाओं को उच्च दर्जा दिया गया है। उन्हें समाज द्वारा आदर्श गृहिणी की उपाधि से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि भारतीय महिलाओं ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार के कल्याण और भलाई के लिए समर्पित कर दिया है। वे देवी के रूप में भी मनुष्य द्वारा प्रार्थना की जाती हैं। फिर भी उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्हें पहले की तरह हीन माना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि, यह मानव स्वभाव है, अगर उन्हें कुछ शक्तिशाली चीजें चाहिए होती हैं, तो वे हमेशा 'देवी' के रूप में देवी की प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर महिला जो उनके जीवन में मां, बहन और पत्नी के रूप में मौजूद है, तो वे उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं या अपने परिवार में एक दासी की तरह व्यवहार करते हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के उनके लिए 24 घंटे काम करती है। यह स्थिति तब और खराब हो जाती है, जब वह अपने परिवार के लिए अपना हर संभव प्रयास समर्पित करने के बाद शिक्षित या अशिक्षित परिवार में लड़की को जन्म देती है।

लेकिन आधुनिक भारतीय समाज में आज की महिलाओं की स्थिति और दर्जा काफी बदल गया है। महिलाओं की आबादी भारत की कुल आबादी का लगभग आधा है। जिस देश या समुदाय को महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, उसे सभ्य नहीं माना जा सकता। भारतीय कानून महिलाओं के प्रति भेदभाव के बिना बनाए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय महिलाएं हमारे समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर रही हैं। आज महिलाएं आईएएस, आईपीएस जैसे उच्च पदों पर आसीन हैं, और हमारी रक्षा सेवाओं में भी। आधुनिक भारतीय महिलाएं विभिन्न खेलों जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और एथलेटिक्स में भी भाग लेती हैं, जैसे कि सानिया मिर्जा, सयाना नेहावाल आदि। समकालीन भारतीय महिलाएँ सांसद, विधायक, राज्यपाल और मंत्री के रूप में कार्य करती हैं। हाल के समय की महिलाओं जैसे मदर टेरेसा, सोनिया गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, एमएस सुभालक्ष्मी, लता मंगेशकर और भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। महिलाओं ने साहित्य, संगीत और अभिनय के क्षेत्र में भी उच्च ख्याति प्राप्त की है।

महिलाओं की शिक्षा में पिछड़ने का मुख्य कारण यह है कि पारंपरिक भारतीय समाज में बेटों को संपत्ति माना जाता है जबकि लड़कियों को दायित्व माना जाता है, इसलिए उनकी शिक्षा पर खर्च को प्राथमिकता नहीं माना जाता है। पारंपरिक भारतीय समाज के अनुसार समाज में महिला की भूमिका केवल घर और बच्चों की देखभाल करना है, जिसके लिए किसी स्कूली शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी चिंता है कि अगर महिला शिक्षित हो गई, तो वह कमाने लगेगी और स्वतंत्र हो जाएगी, जिससे पुरुषों के अहंकार को ठेस पहुँच सकती है। भारतीय समाज की संरचना पितृसत्तात्मक है जिसमें सब कुछ पुरुषों के इर्द-गिर्द घूमता है और महिलाओं की भूमिका नगण्य हो जाती है। गरीब परिवारों में, लड़की को अपने भाई-बहनों की देखभाल करने के साथ-साथ घर के काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए उसके पास शिक्षा पर खर्च करने के लिए पैसे और समय नहीं होता है।

महिला शिक्षा से समाज को लाभ

महिला शिक्षा के लाभ मुख्य रूप से सामाजिक विकास की ओर ले जाते हैं, महिला शिक्षा समाज के सामने आने वाले कई मुद्दों को हल करने में मदद करेगी। 1968 के कोठारी आयोग ने सामाजिक विकास के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में अनुशंसित किया। महिला शिक्षा को गति देकर भारत सामाजिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

यह लैंगिक समानता भी सुनिश्चित करता है, अर्थात महिलाएँ समाज के वंचित वर्ग का हिस्सा हैं। शिक्षा समाज में लैंगिक अंतर को कम करने में मदद करेगी। सह-शिक्षा संस्थान बच्चों को महिलाओं का सम्मान करने में मदद करेंगे।

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct, 2024 pp: 188-199ISSN: 2584-2145www.ijemh.com

इससे आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी और इससे न केवल महिलाओं को आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि
देश की जीडीपी भी बढ़ाएँ
इससे शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी, एक सुशिक्षित महिला के पास अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए बेहतर निर्णय लेने के अधिक अवसर होंगे। अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं में साक्षरता बढ़ने से शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी।
इससे जीवन स्तर में सुधार होता है, शिक्षा से महिलाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बेहतर होंगी। एक अच्छी तरह से शिक्षित महिला के पास बेहतर रोजगार और बेहतर जीवन स्तर पाने की अधिक संभावनाएं होती हैं।
समाज के समावेशी विकास को बढ़ाना, एक विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत समाज के सभी वर्गों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में विकास के लिए प्रयासरत है और शिक्षा इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक तरीका है।
इससे महिला सशक्तिकरण में वृद्धि होती है, अर्थात शिक्षा महिला मुक्ति और सशक्तिकरण के लिए शक्तिशाली साधन है। लंबे समय से महिलाएँ अपने अधिकारों से वंचित रही हैं। खुद को शिक्षित करके वह समाज में एक स्थान प्राप्त कर सकती है। यह लोकतंत्र को भी मजबूत करता है क्योंकि शिक्षा महिलाओं में जागरूकता पैदा करेगी जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ेगी और अंततः लोकतंत्र मजबूत होगा। वे लामबंदी के माध्यम से अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकती हैं।

महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य सरकारी योजनाएँ

महिला साक्षरता के लिए साक्षर भारत मिशन: विशेष रूप से महिलाओं के बीच प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2008 में शुरू किया गया जिसके तहत लोक शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए।
सबला-राजीव गांधी किशोरियों के सशक्तीकरण हेतु योजना: इसका उद्देश्य बढ़ती किशोरियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराकर पोषण प्रदान करना है।
शिक्षा का अधिकार: आरटीई शिक्षा को एक मौलिक अधिकार मानता है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।
कस्तूरबा बालिका विद्यालय- :लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना
प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम: यह कमज़ोर लड़कियों पर विशेष ध्यान देकर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाने के लिए है। गांवों में महिलाओं के समूह बनाए जाते हैं। ये समूह लड़कियों के नामांकन, उपस्थिति पर निगरानी रखते हैं।
महिला संघ: इस योजना के तहत महिला मंच (महिला संघ) बनाए गए। यह ग्रामीण महिलाओं को मिलने, मुद्दों पर चर्चा करने, सवाल पूछने, सूचित विकल्प बनाने के लिए जगह प्रदान करता है। इसे दस राज्यों में लागू किया गया है।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान: माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं के छात्रावास के लिए बुनियादी ढांचा।
धनलक्ष्मी योजना: बालिकाओं के लिए तीन शर्तों के साथ सशर्त धन हस्तांतरण योजना।

1. जन्म के समय एवं जन्म पंजीकरण के समय।
2. टीकाकरण की प्रगति और टीकाकरण का समापन।
3. स्कूल में नामांकन और प्रतिधारण।

परिचय:

हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ बच्चों का पालन-पोषण आज भी काफी हद तक माँ पर निर्भर करता है। अगर माँ ही अशिक्षित हो तो हम अगली पीढ़ी को क्या अच्छाई दे पाएँगे? किसी भी देश के विकास के लिए महिलाओं की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास महिलाओं की शिक्षा पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अगर हम भारत को आज़ादी मिलने के बाद पिछले 70 सालों का सही मूल्यांकन करें तो हम पिछले दो दशकों में ही भारत में महिलाओं के समग्र विकास के लिए प्रगतिशील प्रयास देख सकते हैं। एक शिक्षित महिला अपने घर और पेशेवर जीवन को संभालने में सक्षम होती है। वे बल प्रयोग से नहीं बल्कि बुद्धि से भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करने में प्रभावी रूप से योगदान दे सकती हैं। प्राचीन भारत में महिलाओं की शिक्षा काफ़ी अच्छी थी लेकिन मध्य युग में महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगने के कारण यह ख़राब हो गई। हालाँकि, यह दिन-प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है क्योंकि भारत में आधुनिक लोग समझते हैं कि महिलाओं के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। यह बिल्कुल सच है कि दोनों लिंगों की समान वृद्धि से देश के हर क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास में वृद्धि होगी। महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा में समान अवसर दिए जाने चाहिए तथा उन्हें किसी भी विकास गतिविधियों से अलग नहीं रखा जाना चाहिए। देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, अर्थात यदि महिलाएं अशिक्षित हैं तो आधा देश अशिक्षित है, जिससे सामाजिक-आर्थिक स्थिति खराब होती है। महिला शिक्षा के माध्यम से भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास तेजी से होगा। पूरे देश में महिला शिक्षा के महत्व को फैलाने और इसके स्तर को सुधारने के लिए देशव्यापी राष्ट्रीय प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम बहुत जरूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 65.46% है, भारत में महिला शिक्षा अभी भी सवालों के घेरे में है। यह अभी भी विश्व औसत 79.7% से कम है।

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct, 2024 pp: 188-199ISSN: 2584-2145www.ijemh.com

यह शोध भारतीय महिलाओं में कम साक्षरता के कारणों को समझने का प्रयास है, इससे समाज और सरकार को बेहतर समाज बनाने में मदद मिलेगी।

महिला शिक्षा का अर्थ:

महिला शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के हर उस रूप से है जिसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के ज्ञान और कौशल में सुधार करना है। इसमें स्कूल और कॉलेज में सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा, पेशेवर शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा आदि शामिल हैं। महिला शिक्षा में साहित्यिक और गैर-साहित्यिक दोनों तरह की शिक्षा शामिल है। शिक्षित महिलाएं सामाजिक-आर्थिक बदलाव लाने में सक्षम हैं। भारत सहित लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधान में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अधिकारों की गारंटी दी गई है।

देश में महिला शिक्षा का महत्व:

शिक्षा सभी विकासों के लिए मुख्य घटकों में से एक है और इस उत्तर-आधुनिक दुनिया में ज्ञान-आधारित समाज बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह एक अनिवार्य अवधारणा बन गई है कि शिक्षा व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास के लिए सबसे आवश्यक है, जिसे अब सर्वसम्मति से और सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करना पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम पूरी मानव आबादी पर विचार करते हैं, तो शिक्षित महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में बहुत कम स्तर पर है। महिलाओं के शिक्षित होने पर किसी भी देश को निम्नलिखित स्पष्ट लाभ होंगे और भारत इसका अपवाद नहीं है।

1. **आर्थिक विकास और समृद्धि:**शिक्षा महिलाओं को आगे आने और देश के विकास और समृद्धि में योगदान देने के लिए सशक्त बनाएगी।
2. **आर्थिक सशक्तिकरण:**जब तक महिलाएं पिछड़ी रहेंगी और आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहेंगी, उनकी असहाय स्थिति को बदला नहीं जा सकता। आर्थिक सशक्तीकरण और स्वतंत्रता केवल महिलाओं की उचित शिक्षा और रोजगार से ही आएगी।
3. **उन्नत जीवन:**शिक्षा एक महिला को एक अच्छा जीवन जीने में मदद करती है। एक व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान कभी नहीं खोएगी। वह पढ़ सकती है और अपने अधिकारों के बारे में जान सकती है। उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा। अगर हम महिला शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं तो महिलाओं के जीवन या स्थिति में बहुत सुधार होगा।
4. **बेहतर स्वास्थ्य:**शिक्षित लड़कियाँ और महिलाएँ स्वास्थ्य और स्वच्छता के महत्व से अवगत हैं। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से, उन्हें स्वस्थ जीवन शैली जीने का अधिकार मिलता है। शिक्षित माताएँ अपना और अपने बच्चे का बेहतर ख्याल रख सकती हैं।
5. **गरिमा और सम्मान:**शिक्षित महिलाओं को अब सम्मान और गरिमा की दृष्टि से देखा जाता है। वे लाखों युवा लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं और उन्हें अपना आदर्श मानती हैं।
6. **न्याय:**शिक्षित महिलाओं को न्याय के लिए अपने अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी होती है। इससे अंततः महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अन्याय जैसे दहेज, जबरन वेश्यावृत्ति, बाल-विवाह, कन्या भ्रूण हत्या आदि के मामलों में कमी आएगी।
7. **अपनी पसंद का पेशा चुनने का विकल्प:**शिक्षित महिलाएँ जीवन के हर क्षेत्र में बहुत सफल साबित हो सकती हैं। लड़कियों को शिक्षा के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे सफल डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, एयर-होस्टेस, कुक बन सकें या अपनी पसंद का पेशा चुन सकें।
8. **गरीबी उन्मूलन:**गरीबी दूर करने के लिए महिलाओं की शिक्षा एक अनिवार्य शर्त है। गरीबी दूर करने के विशाल कार्य का भार महिलाओं को भी बराबर उठाना होगा। इसके लिए शिक्षित महिलाओं से बड़े पैमाने पर योगदान की आवश्यकता होगी। जब तक लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा के उनके अधिकार नहीं दिए जाते, तब तक बहुत अधिक सामाजिक और आर्थिक बदलाव नहीं हो सकते।

भारत में महिला शिक्षा का डेटा विश्लेषण:

भारत में महिलाओं की शिक्षा को अभी भी कई हिस्सों में एक अनावश्यक भोग के रूप में देखा जाता है। डेटा स्पष्ट करता है कि केरल 92.07% महिला साक्षरता (और 94.00% समग्र साक्षरता) के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है, बिहार 51.50% महिला साक्षरता (और 61.80% समग्र साक्षरता) के साथ बहुत कम स्कोर करता है।

2015 में 3.7 मिलियन योग्य लड़कियाँ स्कूल से बाहर थीं और ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को औसतन चार साल से भी कम शिक्षा मिलती है। ऐसे देश में जहाँ 21.9% आबादी अपनी आधिकारिक गरीबी सीमा से नीचे है, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि गरीबी लड़कियों की शिक्षा को सीमित करने वाली प्रमुख बाधा है। लेकिन गरीबी ही

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct, 2024 pp: 188-199ISSN: 2584-2145www.ijemh.com

एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं है जो भारतीय लड़कियों के बीच शिक्षा के मौलिक अधिकार को बाधित कर रही है, इसके अलावा कई और कारक भी हैं जैसे कि संबंधित गाँवों से स्कूलों की दूरी, स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं की कमी, महिला शिक्षकों की कमी, पाठ्यक्रम में लैंगिक पूर्वाग्रह, अपने-अपने परिवारों से समर्थन का अभाव और यह सूची कभी खत्म नहीं होती। ग्रामीण परिवारों में एक आम धारणा है कि लड़कियाँ

यौवन की अवस्था में पहुंचने के बाद लड़कियों को स्कूल जाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि अक्सर घर से स्कूल तक की लंबी दूरी के दौरान लड़के उन्हें चिढ़ाते हैं। एशिया में बाल वधुओं की सबसे अधिक संख्या भारत में है और अनिवार्य रूप से युवा लड़कियों के बारे में यह धारणा है कि उन्हें शिक्षित करना समय और धन की बर्बादी है क्योंकि वे केवल शादी करने और घर चलाने के लिए पैदा होती हैं। ग्रामीण परिवारों में और विशेष रूप से गरीबों के बीच, बालिकाएँ घर के काम और खेतों में काम करने के लिए एक मूल्यवान संसाधन हैं, एक अतिरिक्त हाथ जिसे शिक्षा के माध्यम से बर्बाद नहीं किया जा सकता है, जिसके लगभग अदृश्य लाभ हैं और बहुत भारी कीमत है जिसे अधिकांश ग्रामीण और गरीब परिवार चुकाने में असमर्थ हैं।

परिणामस्वरूप, एक बड़ा लिंग अंतर उभरता है, जिसे 2011 की जनगणना में उजागर किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि पुरुष साक्षरता दर 82.14% है, जबकि महिलाओं के लिए यह 65.46% पर पीछे है। हालाँकि बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में दाखिला दिलाना सबसे अधिक समस्याजनक लगता है, लेकिन एक बार दाखिला मिल जाने के बाद, बालिकाओं द्वारा अपनी प्राथमिक शिक्षा जारी रखने की अधिक संभावना होती है। शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, लड़कियों के लड़कों की तुलना में अधिक स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति होती है, जिससे बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा के लिए रोके रखना एक चुनौती बन जाती है। हमारे तथाकथित 'आधुनिक भारत' में, अनुमान बताते हैं कि ग्रामीण भारत में हर 100 लड़कियों में से केवल एक ही कक्षा 12 तक पहुँच पाती है और लगभग 40% लड़कियाँ पाँचवीं कक्षा तक पहुँचने से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं
समाज में पुरुषों और महिलाओं की स्थिति के बीच अंतर कम नहीं होगा, बल्कि मिटना तो दूर की बात है, जब तक पुरुषों और महिलाओं के शिक्षा स्तर में अंतर रहेगा। हमें यह समझना चाहिए कि स्कूल जाना एक बात है, दूसरी ओर, शिक्षा की गुणवत्ता दूसरी बात है। सरकारी स्कूलों में- भीड़भाड़ वाले क्लासरूम, शिक्षक की अनुपस्थिति, गंदगी की स्थिति आम शिकायतें हैं और माता-पिता को यह निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती हैं कि उनके बच्चे का स्कूल जाना उचित नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2010 में की गई एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि RTE अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 1.2 मिलियन शिक्षकों की आवश्यकता थी और केवल 5% सरकारी स्कूल अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी बुनियादी मानकों और बुनियादी ढांचे का अनुपालन करते थे। इसके अलावा 40% कक्षाओं में 30 से अधिक छात्र थे और 60% से अधिक में बिजली नहीं थी और 21% से अधिक शिक्षक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित नहीं थे। हालाँकि भारत में शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए बहुत काम किया गया है, फिर भी हम अन्य विकासशील देशों के बराबर मानकों को प्राप्त करने से बहुत दूर हैं।

भारत अपने सभी विकास सूचकांक में 128 देशों में 105वें स्थान पर है। भारत में शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया जाना है; महिलाओं की शिक्षा तक पहुँच पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षा में अधिकांश महिलाओं की भागीदारी के लिए सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हालाँकि सरकार और विभिन्न स्वैच्छिक संगठन स्थानीय आबादी को महिला शिक्षा की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक लड़की के माता-पिता लड़की को स्कूल भेजने में मूल्य और योग्यता नहीं देखेंगे, वे ऐसा करने का विरोध करेंगे और इसके बजाय घर के कामों या कृषि गतिविधियों में उसकी मदद लेना पसंद करेंगे। यह बिल्कुल ज़रूरी है कि हम महिलाओं के बीच यह विश्वास पैदा करें कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और इसे हासिल करने का एकमात्र व्यवहार्य तरीका शिक्षा और उसके उचित उपयोग के माध्यम से है। परिवारों को अधिक रुचि लेने के लिए एक तरीका यह है कि स्कूल को उनके पास लाया जाए बजाय इसके कि वे अपनी लड़कियों को घर से दूर स्कूल भेजें।

ग्रामीण भारत में अधिक मोबाइल स्कूल लागू करना। महिला शिक्षा के लिए बजट की नीतियाँ तैयार करने के लिए निम्नलिखित कारक काफी महत्वपूर्ण हैं

I. बालिकाओं का अल्पपोषण एवं कुपोषण
II. कम उम्र में यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार
III. माता-पिता की निम्न सामाजिक-आर्थिक स्थिति
IV. बचपन में संक्रमण और कम प्रतिरक्षा शक्ति

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct, 2024 pp: 188-199ISSN: 2584-2145www.ijemh.com

V. उनके जीवन में बहुत सारे सामाजिक प्रतिबंध और वर्जनाएँ हैं

VI. परिवार में बड़ों के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर होना, चाहे वह घर पर माता-पिता के घर पर हो या सास-ससुर के घर पर

VII. केवल सीमित शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति

मनोवैज्ञानिक विचार:

सामर्थ्य एवं प्राथमिकता:

जब माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते हैं, तो वे हमेशा बेटे को बेटी के ऊपर प्राथमिकता देते हैं, अगर वे उन्हें स्कूल भेजने की कोशिश भी करते हैं। बेटी घर पर रहती है और खाना बनाती है, साफ-सफाई करती है और अपने माता-पिता की मदद करती है, या फिर उसे कहीं सहायक के तौर पर भी रखा जा सकता है, जो बाल श्रम है और कानून के अनुसार अवैध है। अगर दोनों बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, और अगर कोई व्यक्तिगत या वित्तीय समस्या है जिसके चलते वे दोनों बच्चों की शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकते हैं, तो सबसे पहले बेटी को ही स्कूल से निकाला जाएगा। किशोर लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर 63.5% है।

उच्च शिक्षा में असुरक्षित माहौल की भावना:

अगर बेटी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती है तो माता-पिता, रिश्तेदारों, पड़ोसियों (और साथ ही बुआ-बुआ) के बीच यह चर्चा का विषय बन जाता है कि क्या इसकी आवश्यकता है! अगर बेटा उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो इसे एक उपलब्धि और लड़के के लिए अच्छी तरह से बसने के अवसर के रूप में देखा जाता है और लोगों के बीच इसकी प्रशंसा की जाती है।

महिलाओं से सामाजिक एवं सांस्कृतिक अपेक्षाएँ:

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अधिकांश भारतीय परिवार अपनी बेटी की शिक्षा की तुलना में उसकी शादी पर अधिक खर्च करते हैं। और बहुओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी पढ़ाई जारी रखने या स्थिर करियर बनाने के बजाय परिवार की देखभाल करें। इस कारण से, महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वे नौकरी करती हैं न कि करियर, इस बात की संभावना है कि उनकी अपनी बेटी एक दिन अनपढ़ माँ बन जाए, इस प्रकार यह दुष्चक्र जारी रहेगा।

आर्थिक रूप से परिवार को बेटे से मिली मदद:

आम धारणा यह है कि परिवार की लड़कियों की एक दिन शादी हो जाएगी और वे परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में योगदान नहीं देंगी। लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों के पालन-पोषण और सशक्तिकरण का काम अनपढ़ माताओं पर छोड़ दिया जाता है। यह एक चेन रिएक्शन की तरह है जिसमें अगली पीढ़ी की बेटियों, जो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से आती हैं, के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। गरीबी से त्रस्त परिवार में,

यद्यपि बेटी की पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं दिखती हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्कूल जाने वाले बच्चों का चयन उनकी योग्यता के बजाय लिंग के आधार पर किया जाता है।

प्राचीन भारत में शिक्षा:

यह जानकर आश्चर्य होता है कि प्राचीन काल में भारत की महिलाओं को सभी प्रकार का महत्व प्राप्त था, वे 21वीं सदी की महिलाओं की तुलना में सभी पहलुओं में अधिक स्वतंत्र और श्रेष्ठ थीं, उन्हें अपने ज्ञान और आदेश के कारण समाज में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था।

गार्गी ने याज्ञवल्क के साथ दार्शनिक मुद्दों पर वाद-विवाद में भाग लिया था। लीलावती प्राचीन भारत की महान गणितज्ञ थीं। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्राचीन समाज महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के मामले में रूढ़िवादी नहीं था और उनमें से कई ने सीखने में महान दक्षता प्राप्त की थी। प्राचीन महिलाओं को शिक्षा के संबंध में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। लड़कियों का उपनयन (वैदिक दीक्षा) लड़कों की तरह ही आम होना चाहिए था। वैदिक काल में महिलाओं को न केवल विशेषाधिकार प्राप्त थे, बल्कि उनमें नैतिकता का उच्च स्तर भी था। उन्होंने शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक योगदान दिया था। सामान्य साहित्यिक और सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या काफी बड़ी रही होगी। लंबे समय तक परिवार ही एकमात्र शैक्षणिक संस्थान था, और लड़के भी अपने पिता या बड़ों से ही शिक्षा प्राप्त करते थे। स्वाभाविक रूप से लड़कियों के साथ भी ऐसा ही था। लेकिन बाद के समय में महिला शिक्षकों का एक वर्ग अस्तित्व में आया (उपाध्यायनी)। 12वीं शताब्दी तक हिंदू समाज में पर्दा प्रथा नहीं थी, और इसलिए महिलाओं के लिए शिक्षण पेशे को अपनाने में कोई कठिनाई नहीं थी। महिला शिक्षिकाओं ने शायद खुद को लड़कियों को पढ़ाने तक ही सीमित रखा होगा। पाणिनि ने महिला छात्राओं के

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct, 2024 pp: 188-199ISSN: 2584-2145www.ijemh.com

लिए बोर्डिंग हाउस, छत्रशालाओं का उल्लेख किया है, और ये संभवतः महिला शिक्षिकाओं की देखरेख में थे।

प्राचीन भारत में सह-शिक्षा भी हल्के रूप में प्रचलित थी। कभी-कभी लड़के और लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करते समय एक साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। 8वीं शताब्दी ई. में लिखे गए भवभूति के 'मालतीमाधव' से हमें पता चलता है कि भिक्षुणी कामंदकी ने भूरिवासु और देवरात के साथ एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र में शिक्षा प्राप्त की थी। 'उत्तर-राम-चरित' (उसी लेखक द्वारा) में भी हम पाते हैं कि आत्रेयी ने कुश और लव के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। भारत में प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान महिलाओं को दी जाने वाली शिक्षा की सटीक सीमा निर्धारित करना कठिन है।

उपनयन संस्कार लड़कियों के लिए अनिवार्य था और इससे सभी वर्गों की लड़कियों को एक निश्चित मात्रा में वैदिक और साहित्यिक शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित हुआ होगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिला शिक्षा को बहुत बड़ा झटका लगा, मुख्य रूप से महिलाओं की धार्मिक स्थिति में गिरावट के कारण। उपनयन धीरे-धीरे लड़कियों के लिए निषिद्ध होने लगा और लगभग 500 ईसा पूर्व तक यह एक औपचारिकता बन चुका था। उपनयन का बंद होना महिलाओं की धार्मिक स्थिति के लिए विनाशकारी था और उन्हें वैदिक मंत्रों का पाठ करने और वैदिक बलिदान करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार महिलाओं के लिए वैदिक शिक्षा निषिद्ध थी। विदेशियों के आगमन के साथ ब्राह्मणवादी समाज कठोर और रूढ़िवादी हो गया। पंडितों ने बचाव के उपाय अपनाए। इसके लिए महिलाओं ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। उन्हें घर के भीतर ही सीमित कर दिया गया। बदली हुई स्थिति में महिलाओं को अध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया।

दक्षिण की नर्तकियाँ जो प्रायः मंदिरों (देवदासियों) से जुड़ी रहती थीं, कुछ शिक्षा प्राप्त करती थीं, विशेष रूप से नृत्य और संगीत में। वे अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थीं। ये अर्ध-वेश्याएँ पढ़ना, गाना और नृत्य करना सीखती थीं। ये वेश्याएँ कभी-कभी जासूस के रूप में काम करती थीं। वेश्याओं की शिक्षा भारत में एक बहुत प्राचीन प्रथा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वेश्याओं की शिक्षा का उल्लेख है। निस्संदेह बौद्ध धर्म ने महिलाओं की शिक्षा पर अपना प्रभाव डाला। बौद्ध मठवासी आदेश में न केवल भिक्षु बल्कि भिक्षुणियाँ (भिक्षुणियाँ) भी शामिल थीं। लेकिन यह बहुत अनिच्छा से ही था कि बुद्ध ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया। इसमें निस्संदेह उन्होंने अपने समय के विचारों को प्रतिबिंबित किया जो महिलाओं की स्वतंत्रता और शिक्षा के खिलाफ थे। उनकी चाची, महाप्रजापति ने आदेश में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उन्होंने तीन बार मना कर दिया। अंत में, उनके पहले और पसंदीदा शिष्य आनंद के उत्कट आग्रह पर, बुद्ध ने हार मान ली। हालाँकि, उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया और कहा कि महिलाओं के प्रवेश से उनका काम बर्बाद हो जाएगा। भिक्षुणियों को भिक्षुओं पर बहुत अधिक निर्भर बना दिया गया था, और उन्हें केवल भिक्षुओं द्वारा ही प्रवेश दिया जा सकता था। यह दिखाने के लिए पर्याप्त प्रमाण हैं कि बुद्ध, मनु की तरह, महिलाओं के बारे में कम राय रखते थे। यह सच है कि बौद्ध भिक्षुणियाँ वांछित सीमा तक नहीं फैलीं। उनकी संख्या बहुत कम थी। इसका कारण बहुत सरल है। बौद्ध आंदोलन ने महिला शिक्षा को केवल अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया। चौथी शताब्दी ई. तक भिक्षुणियाँ प्रचलन से बाहर हो गई थीं। 5वीं और 7वीं शताब्दी ई. के चीनी तीर्थयात्री उनका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करते हैं।

भारतीय संस्कृति और शिक्षा पर मनुस्मृति का प्रभाव:

मनु की संहिता (२०० ई.) (मनुस्मृति या मनुसंहिता) के साथ उसकी आश्रित स्थिति दृढ़ता से स्थापित हो गई। मनु के अनुसार, "एक लड़की, एक युवा महिला या यहां तक कि एक वृद्ध महिला द्वारा, कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाना चाहिए'। मनु ने आगे कहा है कि "बचपन में एक महिला को अपने पिता के अधीन होना चाहिए, युवावस्था में अपने पति के अधीन, जब उसका पति मर जाए तो अपने बेटों के अधीन", एक महिला को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। "महिलाओं को दिन-रात अपने परिवार के पुरुषों द्वारा आश्रित रखा जाना चाहिए। बचपन में उसका पिता उसकी रक्षा करता है, युवावस्था में उसका पति उसकी रक्षा करता है, और बुढ़ापे में उसके बेटे उसकी रक्षा करते हैं; एक महिला कभी भी स्वतंत्र होने के योग्य नहीं होती"। इस प्रकार, मनु के समय में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता था और उन्हें वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। अब तक कम उम्र में विवाह का रिवाज बन गया था। उपनयन संस्कार बंद करने से होने वाली शरारतें विवाह योग्य उम्र कम करने से और बढ़ गईं लेकिन बाद के वैदिक काल (500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक) में लड़कियों की शादी 8 या 9 साल की उम्र में कर दी जाती थी। लड़कियों की कम उम्र में शादी ने महिला शिक्षा को खत्म कर दिया। हालाँकि इस अवधि के दौरान समाज में महिला शिक्षा को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अमीर, कुलीन और राजसी परिवारों में इस पर ध्यान दिया जाता रहा। इन परिवारों में लड़कियों को काफी अच्छी साहित्यिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन निश्चित रूप से वैदिक साहित्य नहीं। एक साधारण परिवार की लड़की को केवल वही शिक्षा मिलती थी जो

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct, 2024 pp: 188-199ISSN: 2584-2145www.ijemh.com

उसे अपने पति के घर में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त बनाती थी। उसके कर्तव्य मुख्य रूप से अपने बच्चों का पालन-पोषण करना, सब कुछ साफ-सुथरा रखना, परिवार के सदस्यों के लिए भोजन तैयार करना और घर के बर्तनों की देखभाल करना था। इस प्रकार, लड़कियों की शिक्षा पूरी तरह से घरेलू थी। वे घरों में ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। भारत में महिलाओं को सदियों से शैक्षिक विशेषाधिकारों से वंचित रखा गया था, लेकिन इस सामान्य स्थिति के हमेशा कुछ अपवाद रहे हैं। राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कुछ प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिन्होंने महिला शिक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया।

अन्य अविकसित देशों की तुलना में भारत की स्थिति:

महिला साक्षरता पर नए शोध से प्राप्त डेटा से पता चलता है कि भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली अपने पड़ोसियों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की तुलना में गुणवत्ता के मामले में कमतर प्रदर्शन कर रही है। शोध में कई स्कूली वर्षों में महिला साक्षरता में हुए बदलावों का अध्ययन किया गया है। भारत में पाँच साल की प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने वाली और साक्षर महिलाओं का अनुपात 48 प्रतिशत था, जो नेपाल में 92 प्रतिशत, पाकिस्तान में 74 प्रतिशत और बांग्लादेश में 54 प्रतिशत से बहुत कम है। ये निष्कर्ष, जो आगामी पृष्ठभूमि पेपर का हिस्सा हैं, पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क स्थित इंटरनेशनल कमीशन ऑन फाइनेंसिंग ग्लोबल एजुकेशन ऑपर्चुनिटी (या शिक्षा आयोग) द्वारा एक ब्लॉग-पोस्ट में जारी किए गए थे। पेपर के लेखकों में से एक जस्टिन सैंडफुर ने कहा, "यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली संकेत है कि भारत की शिक्षा प्रणाली कमतर प्रदर्शन कर रही है।" डेटा से यह भी पता चला कि, दो साल की स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद महिला साक्षरता दर में एक से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पाकिस्तान और नेपाल के लिए इसी तरह के आंकड़े क्रमशः तीन से 31 प्रतिशत और 11 से 47 प्रतिशत थे। श्री सैंडफुर ने कहा, "इसका मतलब है कि भारत की तुलना में पाकिस्तान में शुरुआती कक्षाओं के दौरान महिलाओं के लिए साक्षरता पैदा करने में स्कूली शिक्षा लगभग दोगुनी उत्पादक है। या, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि भारतीय स्कूल उन छात्रों को बढ़ावा देने के मामले में बहुत अधिक उदार हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं।"

वर्तमान शताब्दी में महिलाओं को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होने जा रहे हैं। सामान्य रूप से भारतीय समाज और विशेष रूप से सरकार ने महिलाओं और लड़कियों के शैक्षिक विकास के लिए कई संस्थानों की स्थापना की है। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों के साथ-साथ शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करना है। इन शैक्षणिक संस्थानों का उद्देश्य अत्यधिक मदद करना है और सभी क्षेत्रों में महिलाओं के विकास से संबंधित हैं। आधुनिक युग में, भारत में महिलाओं ने एक लंबा सफर तय किया है। भारतीय महिलाओं को पुरुषों के साथ समान अधिकार दिए गए हैं इसके अलावा सरकार देश में महिला शिक्षा के प्रसार के लिए सभी तकनीकी तरीकों का उपयोग कर रही है। हालाँकि, नारीवादी विचारों ने हाल के दिनों में दुनिया भर में समाज में महिलाओं की स्थिति के अद्भुत विकास को जन्म दिया है। महिलाओं के लिए मुख्य बाधा, लिंग भेदभाव, अभी भी भारत में कायम है और भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। लिंग साक्षरता अंतर पुरुष और महिला साक्षरता के लिए एक सरल संकेतक है। जबकि भारत में 1901 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 9.8 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 0.7 प्रतिशत थी। पिछले साल की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14 और महिला साक्षरता दर 65.46 है। भारत में पुरुषों की तुलना में लड़कियों का स्कूल में नामांकन 1951 से 2010 तक कम रहा है। भारत में कुछ उल्लेखनीय कारक निम्नलिखित हैं जो भारतीय महिलाओं को शिक्षा के लिए जाने की अनुमति नहीं देते हैं।

डीएचएस डेटा विश्लेषण:

इस शोध के लिए, लेखकों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (डीएचएस) के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, लड़कियों पर विशेष ध्यान देते हुए, दुनिया भर में शिक्षा की गुणवत्ता को मापने का एक तरीका तैयार किया।
— विकासशील देशों में जीवन स्तर पर सबसे तुलनीय डेटा स्रोतों में से एक। "हमने साक्षरता माप को शामिल करने वाले डीएचएस डेटा वाले सभी देशों के डेटा का इस्तेमाल किया," श्री सैंडफुर ने कहा। दुनिया भर में महिला साक्षरता दर में सुधार हो रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह स्कूल की गुणवत्ता में सुधार के कारण है, अध्ययन कहता है। महिला साक्षरता के वैश्विक सूचकांक में भी भारत निचले पायदान पर है। यदि देशों को उस प्रारंभिक कक्षा के आधार पर रैंक किया जाए जिस पर कम से कम आधी महिलाएं साक्षर हैं — सीखने की गुणवत्ता का एक प्रतिनिधि — तो भारत उन 51 विकासशील देशों में 38वें स्थान पर है जिनके लिए तुलनीय डेटा उपलब्ध है। इंडोनेशिया, रवांडा, इथियोपिया

International Journal of Engineering, Management and Humanities (IJEMH)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct, 2024 pp: 188-199ISSN: 2584-2145www.ijemh.com

और तंजानिया — सभी भारत से ऊपर रैंक करते हैं। घाना सबसे निचले पायदान पर है।

1. सर्व शिक्षा अभियान
2. इंदिरा महिला योजना
3. बालिका समृद्धि योजना
4. राष्ट्रीय महिला कोष
5. महिला समृद्धि योजना
6. रोजगार एवं आय सृजन प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र
7. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास का कार्यक्रम
8. महिलाओं और लड़कियों के लिए अल्पकालीन प्रवास गृह

निष्कर्ष:

उन्नीसवीं सदी के मध्य तक लड़कियों और महिलाओं को केवल पारंपरिक घरेलू कामों के लिए ही शिक्षित किया जाता था। अब समाज में महिलाओं की भूमिका-स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है। लड़कों और पुरुषों की तरह ही लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है। आधुनिक समय के माता-पिता लैंगिक समानता के बिना अपने बच्चों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। शिक्षित महिलाओं को अपने नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का प्रयोग करने पर जोर देना चाहिए। इससे समाज में महिलाओं की समग्र स्थिति में सुधार होगा। हम बेहतर दिनों की उम्मीद कर सकते हैं जब हमारे देश की सभी महिलाएं प्रबुद्ध और शिक्षित होंगी। देश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा में सुधार हुआ है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास के अतिरिक्त कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आय सृजन गतिविधियों को विकसित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पुरुष और महिला दोनों देश की आधी आबादी को कवर करते हैं। वे सिक्के के दो पहलू की तरह हैं इसलिए देश के विकास में भाग लेने के लिए उन्हें समान अवसर की आवश्यकता है। एक के बिना दूसरा अस्तित्व में नहीं रह सकता क्योंकि महिलाएं ही सब कुछ हैं क्योंकि वे भावी पीढ़ी को जन्म देती हैं। यदि वे अच्छी तरह से शिक्षित होंगे तो वे शिक्षित भावी पीढ़ी को जन्म देंगे और इस प्रकार भारत में स्वस्थ सामाजिक और आर्थिक स्थिति पैदा होगी।

निष्कर्ष

शिक्षित महिलाओं द्वारा दहेज जैसी अपमानजनक संस्था को स्वीकार करना यह दर्शाता है कि हमारी महिलाओं ने कभी भी संवैधानिक और कानूनी गारंटी के वास्तविक अर्थ की जांच नहीं की है। एक शिक्षित महिला एक जादू की छड़ी की तरह होती है जो समृद्धि, स्वास्थ्य और गौरव लाती है। हमें बस उसकी क्षमता को उजागर करना है और जादू को घटित होते देखना है। हमने अपनी स्वतंत्रता के बाद से महिला शिक्षा में बहुत सुधार किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सुधार किया जाना बाकी है। भारत में महिला शिक्षा के विकास को बाधित करने वाले कारक मुख्य रूप से सामाजिक हैं, और अगर हम सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें पहचानना होगा और उन्हें खत्म करना होगा।

संदर्भ

1. अग्रवाल, जे.सी.: आधुनिक शिक्षा का विकास और नियोजन। नई दिल्ली: विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, 2005।
2. अहमद, नबी और सिद्दीकी, मोहम्मद आबिद: शिक्षा के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण: प्रतिबद्धताएँ और चुनौतियाँ। यूनिवर्सिटी न्यूज़ जर्नल, खंड 44 संख्या 37, 11-17 सितंबर, 2006।
3. अल्तेकर, ए.एस.: हिंदू सभ्यता में महिलाओं की स्थिति। दिल्ली: मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। 1999
4. बालागुरुसामी, ई ई.: महिलाओं की स्थिति में सुधार - यूनिवर्सिटी न्यूज़ जर्नल खंड, 42 अंक 17 अप्रैल 26- मई 02,2004 में दीक्षांत भाषण
5. जानकी, डी.: शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण: भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के 150 वर्ष। यूनिवर्सिटी न्यूज़ जर्नल, खंड 44 संख्या 48 27 नवंबर 03 दिसंबर, 2006।
6. अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, खंड 4. संख्या 1, नवंबर 2011, पृ. 67-86
7. दीप्ति गुप्ता: भारत में उच्च शिक्षा: संरचना, सांख्यिकी और चुनौतियाँ
8. देसाई, ए.एस. (1999) उच्च शिक्षा और राष्ट्रीय विकास में महिलाएँ। यूनिवर्सिटी न्यूज़, एआईयू, खंड 39, संख्या 9, 1 मार्च, 1999।

वेब स्रोत

1. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/123356/8/08_chapter2.pdf
2. https://unacademy.com/lesson/role-of-women-and-womens-organizations/QHNSQLPA

3. http://www.yourarticlelibrary.com/education/womens-education/womens-education-in-an-cient-india/63492
4. https://www.careerride.com/view/woman-education-in-india-importance-government-ini-tiatives-19688.aspx
5. https://www.indiacelebrating.com/essay/women-education-in-india-essay/
6. http://borjournals.com/a/index.php/jbmssr/article/view/391